वाद संख्या - 38/2023

कलावती देवी ———————— धारा - 144 द॰प्र॰सं॰

प्रथम पक्ष

बनाम

कामेश्वर साव वगैरह ———————— द्वितीय पक्ष

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
27/4/23	आदेश आदेश हेतु अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद प्रथम पक्ष के आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया। प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि बन्दोबस्ती से हासिल है जिसका विवरण निम्नवत है । ग्राम + मौजा – मनिहारी, थाना – बिरनी, खाता नं0 – 22, प्लॉट नं0 – 862/5, रकबा – 2 एकड 14 डी0, चौहदी उ0 – मुरली राम, द0 – रास्ता वो प्लॉट नं0 – 939, पू0 – प्लॉट नं0 – 938, पं0 – प्लॉट नं0 – 860 एवं 861 । द्वितीय पक्ष के द्वारा वादग्रस्त भुमि पर बलपूर्वक हडपने की नियत से मकान बना रहे हैं। इस कारण से काफी विवाद हो रहा है। प्रथम पक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि बन्दोबस्ती से जानकी राम वगैरह पिता मुरत राम को हासिल है। आवेदक के द्वारा अपने दावे के समर्थन में बन्दोबस्ती केस संख्या – 25/86–87 की छायाप्रति, सरकारी मालगूजारी रसीद संख्या – 0148023363 वर्ष 2022 का छायाप्रति ऑफलाईन मालगुजारी रसीद संख्या – $\frac{JH}{20} A126454$ कि छायाप्रति दाखिल किया गया। द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित एवं मौखिक रुप से अपना पक्ष रखा गया द्वितीय पक्ष के अनुसार उक्त जमीन हुकुमनामा से उनके पूर्वज जयराम नायक वगैरह को हासिल है। मौजा – मनिहारी, के अन्तर्गत खाता नं0 – 22, प्लॉट नं0 – 862, रकबा – 1.71 एकड, चौहदी उ0 – प्लॉट नं0 – 861 वो परती, द0 – मंगर नायक वो नीज, पु0 – रास्ता वो शोभा राणा, पं0 – नीज दर्ज है। जिसकी जमाबंदी अंचल कार्यालय बिरनी में द्वितीय पक्ष के पूर्वज जयराम नायक के नाम पर निर्गत है। द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि प्रथम पक्ष	

के द्वारा दाखिल बन्दोबस्ती पर्चा जानकी राम के नाम पर है तथा मालगुजारी रसीद कलावती देवी के नाम पर है। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के दखल – कब्जे कि जमीन पर कब्जा करना चाहतें हैं जबकि उक्त वादग्रस्त भूमि पर द्वितीय पक्ष का मकान बना हुआ है। तथा पूर्व में भी वाद ग्रस्त भूमि को लेकर ~~सीमान~~ अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बगोदर-सरिया के न्यायालय में द0प्र0सं0 कि धारा – 144 वाद संख्या – 142/22 में आदेश पारित है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावे के समर्थन में हुकुमनामा कि छायाप्रति, मालगुजारी संख्या – 1075119 एवं अन्य वाद संख्या – 142/22 कि छायाप्रति दाखिल किया गया है।

थाना प्रभारी बिरनी के जॉच प्रतिवेदन एवं उभय पक्षों के द्वारा दाखिल दस्तावेज का अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त भूमि पर पूर्व में भी मुकदमा दायर किया गया था जिसमें आदेश पारित किया गया है। अतः वाद संख्या – 142/22 में पारित आदेश इस वाद का अंश माना जायेगा। साथ ही इस उल्लेख करना समीचीन होगा कि इस वाद में पारित आदेश जैसा कि माननीय सर्वोच्य न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम प्रवीण भाई थोगडिया [*Appeal (Crl.)401 of 2004*] कहा है कि "*.....more preventive in nature and not puritive in their effect and consequences*". अतः किसी के पक्ष में आदेश पारित करना उचित नहीं होगा।

अतः उक्त विवेचन के आलोक में वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित।

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.09.14 12:24:28 +05:30
Location: 192.168.1.13

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया